



राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)



क्रमांक: प.3(1)वित्त-1(1)/आ.व्यय./2004 पार्ट-1

जयपुर, दिनांक : 10 नवम्बर, 2020

समस्त विभागाध्यक्ष
(जिला कलेक्टर्स सहित)

विषय :- कोविड-19 के दृष्टिगत प्रतिमाह सकल वेतन (Gross Salary) से कटौती के संबंध में।

महोदय,

कोविड-19 की परिस्थितियों के कारण उत्पन्न आर्थिक प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए मंत्रिमण्डल आज्ञा क्रमांक 108/2020 दिनांक 03.09.2020 के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय की अनुपालना में इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.09.2020 के द्वारा माह सितम्बर, 2020 देय अक्टूबर, 2020 के सकल वेतन (Gross Salary) से प्रतिमाह कटौती किये जाने के निर्देश जारी किये गये थे।

इस संबंध में निर्णय लिया गया है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के अनुरूप ही आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा (आयुष) विभाग में पदस्थापित समस्त अधिकारी/कार्मिकों को माह नवम्बर, 2020 देय दिसम्बर, 2020 से वेतन कटौती से मुक्त किया जाता है।

भवदीय,

www.rajsevak.com

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव, वित्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक/लेखापरीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान सरकार।
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर।
5. शासन सचिव, मंत्रिमण्डल, सचिवालय।
6. शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को आई.एफ.एम.एस.-पे मैनेजर पर आवश्यक प्रावधान कराये जाने हेतु।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग को वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान।

शासन सचिव, वित्त (बजट)



राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)



क्रमांक: प.3(1)वित्त-1(1)/आ.व्यय./2004 पार्ट-।

जयपुर, दिनांक : 10 नवम्बर, 2020

समस्त विभागाध्यक्ष
(जिला कलेक्टर सहित)

विषय :- कोविड-19 के दृष्टिगत प्रतिमाह सकल वेतन (Gross Salary) से कटौती के संबंध में।

संदर्भ :- इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 08.09.2020

महोदय,

कोविड-19 की परिस्थितियों के कारण उत्पन्न आर्थिक प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए मंत्रिमण्डल आज्ञा क्रमांक 108/2020 दिनांक 03.09.2020 के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय की अनुपालना में संदर्भित पत्र द्वारा राज्य के विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों के माह सितम्बर, 2020 देय अक्टूबर, 2020 के सकल वेतन (Gross Salary) से प्रतिमाह कटौती करने के निर्देश प्रदान किये गये थे।

इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया है कि जो अधिकारी/कर्मचारी अपने वेतन से कटौती नहीं करवाना चाहते हैं उनके द्वारा इस संबंध में आहरण एवं वितरण अधिकारी को कटौती नहीं करने बाबत लिखित में सूचित किये जाने पर उनके वेतन से कटौती नहीं की जाए। यह निर्णय वेतन माह नवम्बर, 2020 देय दिसम्बर, 2020 से लागू होगा।



राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)



6. शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय ।
7. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर—को आई.एफ.एम.एस.—पे मैनेजर पर तदानुसार आवश्यक कार्यवाही कराये जाने हेतु ।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
9. उप शासन सचिव, राजकीय उपक्रम ब्यूरो (सार्वजनिक उपक्रम) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
10. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (मार्गोपाय) विभाग ।
11. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग को वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
12. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान ।

शासन सचिव, वित्त (बजट)